न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ जिला प्रतापगढ (राज)

पीठासीन अधिकारी – विजयेश कुमार पण्ड्या, आर0 ए0 एस0

मुकदमा नं0 – 06/2022

दायर दिनांक – 21.01.2026

निर्णय दिनांक – 23.04.2026

1. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय श्री ऊँकारलाल नायक निवासी धरियावद तहसील धरियावद हाल पत्नी नन्दा उगरान तहसील नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती तेजकुंवर पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण नायक निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ
2. श्री बृज कुमार पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ
3. श्री संजय कुमार पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ
4. सुश्री कान्ता पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीनारायण निवासी धरियावद हाल मुकाम पत्नी स्व. कमल कुमार नगरपालिका की गली, बावजी का चौक वार्ड नम्बर 18 बून्दी तहसील बून्दी
5. श्रीमती किशनबाई पुत्री सीता पिता ऊँकारलाल नायक निवासी धरियावद हाल मुकाम पत्नी श्री मदनलाल निवासी कुछरोत नीमच (म.प्र.)
6. श्रीमती जगदीश पुत्र सीता पिता ऊँकारलाल नायक निवासी धरियावद हाल मुकाम पुत्र श्री मदनलाल निवासी कुछरोत नीमच (म.प्र.)
7. श्री दिनेश पुत्र स्व. श्रीमती भागु पुत्री ऊँकारलाल नायक निवासी धरियावद हाल मुकाम पिता श्री लाभचन्द निवासी कुछरोत नीमच (म.प्र.)
8. सुश्री विद्यादेवी पुत्री स्व. श्रीमती भागु पुत्री ऊँकारलाल नायक निवासी धरियावद हाल मुकाम पत्नी श्री राधेश्याम कुछरोत नीमच
9. तहसीलदार धरियावद

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील बनाराजगी इन्तकाल नम्बर 295 दिनांक 06.06.1972 तहसीलदार धरियावद

उपस्थितः– 1–श्री नक्षत्रमल सैन अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री सुरेन्द्र सिंह आंजना अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स 5 से 8

अपीलान्ट की ओर से अपील विरूद्व रेस्पोडेण्ट निम्न प्रकार पेश की है:–

1. यह कि अपीलान्ट के पिता मूल पुरूष स्व. ऊँकार पिता मोडा जी नायक के नाम मौजा धरियावद पटवार हल्का धरियावद में खाता [illegible] 858 व पुराना 812 पर अंकित आराजी नम्बर 6/130 रकबा [illegible] आराजी नम्बर 6/136 रकबा 2.1600 हैक्टर लगानी 1.08 रू कुल किता 2 रकबा 2.1843 हैक्टर लगानी 1.09 रू कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के पिता ऊँकार पिता मोडा के नाम खाते दर्ज थी। खातेदार ऊँकार की मृत्यु के बाद विरासत का इन्तकाल संख्या 295 दिनांक 06.06.1972 को जायज वारीसानों की बिना जॉच पडताल किये रेस्पोडेन्ट संख्या 9 तहसीलदार धरियावद द्वारा मात्र खातेदार ऊँकार के एक मात्र पुत्र बताकर नामान्तरण संख्या 295 प्रमाणित किया गया। जबकि उक्त खातेदार ऊँकार के निम्न वारीसान जिसका सजरा निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:54 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
प्रतापगढ (राज.)

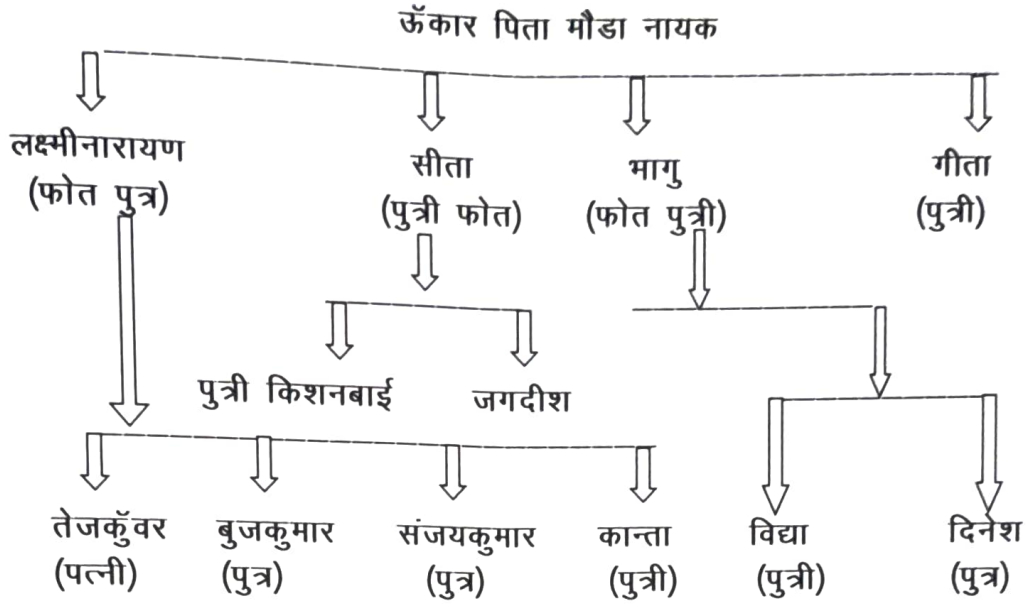

उक्त खानदानी सजरा अनुसार अपीलान्ट की मौरूसी भूमी है, जिसमे अपीलान्ट उत्तराधिकारी होकर जायज वारीसान है। परन्तु तहसीलदार द्वारा विरासत का नामान्तरण एक मात्र पुत्र लक्ष्मीनारायण मृतक के नाम प्रमाणित किया गया। ग्राम पंचायत धरियावद से जारी खानदानी सजरा साथ संलग्न है।

2. यह कि खातेदार ऊँकार की जायज वासीसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 8 के जीवित होते हुए एक मात्र पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तरण खोला गया जबकि मृतक ऊँकार के तीन पुत्रिया एवं एक पुत्र लक्ष्मीनारायण था। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट की मौरूसी जायदाद है। जिसमे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 का कानूनी रूप से पूर्ण हक एवं अधिकार है। अपीलान्ट की मौरूसी भूमि के हक हिस्से अधिकार से वंचित करने की नियत से लक्ष्मीनारायण ने गैरकानूनी तरीके से बिना किसी हक किसी कानूनी अधिकार के उपहार पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तेजकुंवर के पक्ष में 1/4 हिस्सा निष्पादित किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को 1/2 हिस्सा उपहार किया। जिसे अपीलान्ट के मौरूसी जायदाद मे हक अधिकार के मुकाबले उपहार पत्र शुन्य घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट नम्बर एक के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के पिता की मृत्यु होने के बाद उक्त आराजीयात का इन्तकाल रेस्पोडेन्टगण ने अपने नाम खुलवा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करा दिया है। अपीलान्ट मृतक ऊँकार नायक के विधिक वारीसान है। इसलिए उक्त अपील पेश की जा रही है। ताईद में नकल जमाबन्दी संवत 2026 से 2029, 2070 से 2073 व नामान्तकरण संख्या 295, 3868 व 3869 पेश है।

3. यह कि मृतक पुत्र लक्ष्मीनारायण ने जायज वारीसान के जीवित होते हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने सही वारीसानो की बिना जॉच पडताल किये नामान्तरकरण संख्या 295 लक्ष्मीनारायण के पक्ष प्रमाणि[illegible] आराजीयात में अपीलान्ट का पूर्ण अधिकार होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने गै[illegible] तरीके से एकतरफा नामान्तरकरण संख्या 295 पारित किया जा[illegible] में खारिज किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि सम्पत्ति हस्तान्तरण [illegible] ने यह व्यवस्था दी गई है कि पिता की सम्पत्ति अपीलान्टगण की मौरूसी भूमि मे पुत्र या पुत्री को जायज उत्तराधिकारी माना है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 295 को बिना जॉच पडताल किये तस्दीक कर कानूनी भूल की है जिसे निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:54 IST
Reason: SelfAttested

नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संवत 2070–2073 में उनका नाम दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

5. यह कि फैसला अपील रेस्पोडेन्टगण उक्त वाद वर्णित आराजीयात को किसी भी तरह से रहन बेह, बख्शीश विक्रय हस्तान्तरित खाते मे रद्दोबदल नही करे की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायहित में आवश्यक है।

6. यह कि अपीलान्ट का विवाह करीब 40 वर्ष पूर्व धरियावद से नीमच उगरान में हुआ तब से नीमच में निवास करते आ रहे है एवं अपीलान्ट का विवाह हो जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 295 की जानकारी नही हो पाई। वादग्रस्त भूमि में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 295 कानूनन विरूद्व होने से शुन्य है ऐसे इन्तकाल के विरूद्व कभी भी अपील की जा सकती है अवधि विधान में ऐसे विधि आदेश हेतु कानूनन बाधित नहीं है। फिर भी न्याय की वृद्धि हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत छुट अलग से प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है जो इस अपील का अभिन्न भाग है।

7. यह कि अपील के साथ इन्तकाल की सत्यापित नकल पेश है प्रमाणित खानदानी सजरा, प्रमाणित जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तक की पेश है व चालू जमाबन्दी की नकल एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धरियावद को पेश अपील की प्रमाणित फोटो प्रति साथ पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन किया कि मौजा धरियावद पटवार हल्का धरियावद में खाता संख्या नया 858 व पुराना 812 पर अंकित आराजी नम्बर 6/130 रकबा 0.0243 हैक्टर लगानी 0.10 रू, आराजी नम्बर 6/136 रकबा 2.1600 हैक्टर लगानी 1.08 रू कुल किता 2 रकबा 2.1843 हैक्टर लगानी 1.09 रू कृषि भूमि में पारित नामान्तरकरण संख्या 295 दिनांक 06.06.1972 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट एवं ऊँकार पिता मोडा नायक के जायज उत्तराधिकारी के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेज कर तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स 1 से 3 द्वारा सम्मन लेने से मना करने पर अदम तामिल प्राप्त होने से उनके विरूद्व दिनांक 18.02.2026 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट्स 4 को दिनांक 18.02.2026 को पूनः नोटिस भेजा गया जो प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक न तो उपस्थित हुई और न ही कोई जवाब पेश किया। रेस्पोडेण्ट्स 4 के विरुद्ध दिनांक 11.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 8 द्वारा पेशी नियत दिनांक 18.02.2026 को उपस्थित होकर वकालत नामा प्रस्तुत किया। दिनांक 04.03.2026 को रेस्पोडेण्टस 5 से 8 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जिसका जवाब अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 11.03.2026 के पेश कर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष के जवाब/बहस को ध्यान में रख दिनांक 24.03.2026 को रेस्पोडेण्टस 5 से 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया गया तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्तर्गत मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। रेस्पोडेण्टस 5 से 8 ने अपना जवाब दिनांक 01.04.2026 को प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलीय बिन्दुओं को स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.04.2026 को लिखित बहस मय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जिसमें बताया कि अपीलान्ट के पिता स्व श्री ऊँकार पिता मोडा नायक के नाम मौजा धरियावद में खाता संख्या नई 858 व पुरानी 812 पर अंकित आराजी नम्बर 6/130 रकबा 0.0243 हैक्टर लगानी 0.10 रू, आराजी नम्बर 6/136 रकबा 2.1600 हैक्टर लगानी

अति. जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

1.08 रू कुल किता 2 रकबा 2.1843 हैक्टर लगानी 1.09 रू कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के पिता ऊँकार पिता मोडा के नाम खाते दर्ज थी। खातेदार ऊँकार की मृत्यु के बाद विरासत का इन्तकाल संख्या 295 दिनांक 06.06.1972 को जायज वारीसानो की जांच पड़ताल किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 9 द्वारा मात्र खातेदार ऊँकार के एक मात्र पुत्र बताकर नामान्तरण संख्या 295 लक्ष्मीनारायण के नाम प्रमाणित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा अपीलार्थी को न तो नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया। अपीलार्थी एक वैद्य उत्तराधिकारी होकर मूल पुरूष स्व. ऊँकार नायक की उत्तराधिकारी होकर पुत्री है। पुत्री को पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार दिया गया है। अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में यह भी बताया कि खातेदार ऊँकार की जायज वारीसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 के जीवित होते हुए एक मात्र पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम नामान्तरण खोला गया। जबकि मृतक ऊँकार के 3 पुत्रिया एवं एक पुत्र लक्ष्मीनारायण था। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपीलान्ट की मौरूसी जायदाद है। जिसमे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 का कानूनी रूप से पूर्ण हक एवं अधिकार है। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा ने यह व्यवस्था दी गई है कि पिता की सम्पत्ति अपीलान्ट की मौरूसी भूमि में पुत्र या पुत्री को जायज उत्तराधिकारी माना गया है। परन्तु अधनीस्थ न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 295 को बिना जांच पड़ताल किये तस्दीक कर कानूनी भूल की है। जिसे निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दीसंवत 2070–2073 में उनका नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्टस द्वारा किसी प्रकार की लिखित बहस पेश नही कर मौखिक बहस पेश करने का निवेदन किया जिसे सुना गया।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2070–2073 खाता संख्या नया 858 पुराना 812 की प्रति पेश की, जिसमें वादग्रस्त आराजी संख्या 6/130 एवं आराजी संख्या 6/136 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1843 रेस्पोडेन्ट्स 1 से 3 एवं लक्ष्मीनारायण पिता ऊकार के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम धरियावद की जमाबन्दी संवत 2026–2029 का खाता संख्या 16 श्री ऊँकार पिता मोडा नायक सा.देह खातेदार के नाम आराजी संख्या 6/130 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। अपीलाण्ट द्वारा पेश नामान्तरण संख्या 295, जिसमे खातेदार श्री ऊकार पिता मोडा नायक की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट्स 1 के पति और 2 से 4 के पिता लक्ष्मीनारायण के नाम आराजी संख्या 6/130 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा विरासतन दर्ज रिकार्ड हुई। उपरान्त उक्त खातेदार का नाम जमाबन्दी संवत 2070–2073 तक बदस्तुर जारी रहा। ग्राम धरियावद की जमाबन्दी संवत 2066–2069 में आराजी संख्या 6/130 के दो भाग आराजी संख्या 6/130 रकबा 0–02–06 बिस्वा एवं आराजी संख्या 6/130/1 रकबा 10 बीघा दर्ज रिकार्ड है जो कि कॉलम संख्या में शुद्धिपत्र से आ.न. 6/130 के बजाय दर्ज किया गया है। उक्त शुद्धि अनुरूप जमाबन्दी संवत 2070–2073 में भी बदस्तुर जारी रहा। उपरान्त नामान्तरण संख्या 3868 एवं 3869 से खातेदार लक्ष्मीनारायण पिता ऊकार ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के नाम 1/4 भाग एवं रेस्पोडेन्ट्स 2 से 3 के नाम 1/2 भाग उपहार [illegible]

पत्रावली एवं [illegible] दस्तावे[illegible] अवलोकन[illegible] मनन चिन्तन किया। अपीलाण्ट द्वारा पेश नामान्तरण [illegible] कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में खातेदार ऊकार पिता मोडा के नाम से [illegible] रिकार्ड थी। ऊँकार की मृत्यु उपरान्त नामान्तरण संख्या 295 से रेस्पोडेन्ट्स 1 के पति एवं 2 से 4 के पिता लक्ष्मीनारायण के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई। इस नामान्तरण रिपोर्ट में "लक्ष्मीनारायण ने आकर जाहिर किया कि मेरे पिताजी का देहान्त हो गया है। देहान्त का असो... 1 साल हो गया है। सो मै उनके अकेला लड़का... सो खाता मेरे नाम से रदोबदल कराया जाए" दर्ज किया गया है। वारिसान उक्त नामान्तरण सिर्फ लक्ष्मीनारायण के प्रार्थना पत्र पर ही तस्दीक कर दिया गया। वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:54 IST
Reason: SelfAttested

की समुचित जॉच नहीं किया जाना प्रतीत होता है जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स 5 से 8 की माता भी मूल खातेदार ऊँकार की जायज संतानें है। इसकी तस्दीक स्वयं रेस्पोडेन्ट्स 5 से 8 ने अपने जवाब में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा वंशावली को स्वीकार करने से होती है। जबकि हिन्दु विवाह अधिनियम अनुसार पुत्रियॉ भी अपने पिता की विरासती सम्पति में बराबर की हकदार मानी गई है। खातेदार लक्ष्मीनारायण ने अपने जीवन्तकाल में रेस्पोडेन्ट्स 1 से 3 के हक में पैतृक सम्पति का जो उपहार किया गया वह इरादतन किया जाना प्रतीत होता है जबकि खातेदार अपने जीवन्त काल में स्व–अर्जित भूमि का उपहार/दान कर सकता है। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा वंशावली अनुसार लक्ष्मीनारायण के दो पुत्र के साथ 1 पुत्री होते हुए भी अपनी पुत्री को किसी प्रकार का हक प्रदान न करना भी संशय पैदा करता है जबकि लक्ष्मीनारायण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई है। लक्ष्मीनारायण का यह कृत्य भी न्यायालय में वादों को बढा न्यायालय का अकारण समय जाया करने जैसा प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट्स 1 से 4 द्वारा न्यायालय से जारी नोटिस नहीं स्वीकार एवं इरादतन न्यायालय में जानबुझकर उपस्थित नही होने से अपीलाण्ट के कथनों एवं रेस्पोडेन्ट्स 5 से 8 के जवाबों को स्वीकारने पर बाध्य करता है एवं अपीलाण्ट के अपील बिन्दुओं को बल प्रदान करता है। अपीलाण्ट ने अपने लिखित बहस में उन सभी बिन्दुओं को स्पष्ट किया है जो उसके द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में पेश किए। वारिसानों के जीवित रहते बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना विरासतन नामान्तरण स्वीकार लेने से उपरान्त के सभी नामान्तरण प्रारम्भ में ही शून्य हो जाते है। इस अनुसार लक्ष्मीनारायण द्वारा इरादतन अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट्स 1 से 3 के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण विधि विरुद्ध है जबकि वादग्रस्त आराजीयात मौरुसी जायदाद है। इस अनुसार अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है।

अपीलाण्ट का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धरियावद द्वारा स्वीकार किया गया ग्राम धरियावद का नामान्तरण संख्या 295 दिनांक 06.06.1972 को खारिज किया जाकर तहसीलदार धरियावद को नए सिरे से वारिसानों की समूचित जॉच पडताल कर विधिक प्रक्रिया से नामान्तरण खोले जाने के आदेश दिए जाते है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:54 IST
Reason: SelfAttested

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़